

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 2/2019- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. ....(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 793 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, --

- (i) स्तंभ (2) के स्तंभ शीर्ष में "पहली अनुसूची की" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(फा. सं. 334/3/2019-TRU )

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 793 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i)में सा.का.नि. संख्यांक 1019 (अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 22/2018 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया ।